तुरन्त

(1) 3874-6जी0एस 0-1 76/17089, दिनांक 29 जून, 76
(2) 7725-6जी:एस:-I 76/32983, दिनांक 3 दिसम्बर, 1976
(3) 78-6 जी:एस: 1-77/1118, दिनांक 25 जनवरी, 1977
(4) 3764-1 जी: एस:-1-77/17221, दिनांक 23 जून, 1977, तथा
(5) 25/8/78-जी:एस: । दिनांक 12-4-1978 ।

विषय:— निलम्बित सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध केसों का शीघ्र निपटान

कृपया वित्तायुक्त (राजस्व) तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव कृपया उपरोक्य विषय पर संयुकत पंजाब सरकार के परिपत्र क्रमांक 3624 जी: एस:-61/14507, दिदांक 21 अप्रैल, 1961 तथा हाशिये में दिए गए हरियाणा सरकार के परिपत्रों की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

2. यह देखने में आया है कि समय-2 पर जारी की गई हिदायतों के बावजूद प्राय: विभागिय जांचों को पूर्ण करने में बहुत विलम्ब हो रहा है और निलम्बित अधिकारियों/कर्मचारियों की संखया दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है । इसका कारण यह प्रतीत होता है कि केसों में विलम्ब रोकने के लिए कोई प्रणाली अग्रनाई नहीं गई है : अत: सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन मामलों में निलम्बन अवधि का समय 6 मास से बड़ गया हो उनको monitor करने का उत्तरदायित्व स्वयं सम्बन्धित प्रशासकीय सचिवों पर होगा । वे अपने विभाग के किसी अधिकारी को इस कार्य के लिए नामांकित कर सकते हैं ताकि वह उयको समय समय पर प्रत्येक केस की प्रगति से अवगत करवाता रहे और जहां कहीं कोई रुकावट पैदा हो तो उसे दूर करवाने के लिए उचित कार्यवाही करे । इन मुआमवों पर उचित नियन्त्रण रखने के लिये प्रत्येक विभाग के लिए रजिस्टर खोले जाएं ।

3. अनुरोध किया जाता है कि मामले में उचित कार्यवाही करने के लिए तुरन्त पग उठाये जाए ।

हस्त/:
उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुखय सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा तथा
हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव ।

अशा क्रमांक 33/16/78 जी:एस: -78, दिनांक चण्डीगढ़ 20/12/78